भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3061

उत्तर देने की तारीख : 08.08.2023

अनुसूचित जाति (एससी) छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

3061. सुश्री एस. जोतिमणि:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अनुसूचित जाति (एससी) छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के अंतर्गत बजटीय आवंटन और प्रदान की जाने वाली अध्येतावृत्ति की संख्या में कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2014 से इस योजना के लाभार्थियों का तमिलनाडु सहित राज्य-वार और तमिलनाडु का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तमिलनाडु राज्य में इस योजना के लाभार्थियों की संख्या में कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार इस योजना के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री ए. नारायणस्वामी)

(क): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के लिए कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति स्कीम एक मांग आधारित स्कीम है, जिसके लिए मांग के आधार पर निधियां जारी की जाती हैं तथा जैसा कि नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट है निधियों की कोई कमी नहीं है:-

गत तीन वर्षों के दौरान एससी छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के अंतर्गत बजट अनुमान, व्यय और लाभार्थी:

वर्ष	बजट आवंटन (रुपए करोड़ में)	मंत्रालय द्वारा जारी निधियां (रुपए करोड़ में)	प्रदान की गई अध्येतावृत्तियों की संख्या
2020-21	300.00	118.99	4841(विलयित कार्यकाल)
2021-22	300.00	122.39	1932(विलयित कार्यकाल)
2022-23	173.00	114.25	1872 (विलयित कार्यकाल)

लाभार्थियों की संख्या के संबंध में सूचित किया जाता है कि एनएफएससी स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष एमफिल/पीएचडी डिग्रियों में उच्च अध्ययन तथा शोध कार्य कर रहे अनुसूचित जाति के छात्रों को 2000 नई अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा, यदि किसी अकादमिक वर्ष में आवंटित स्लॉट पर्याप्त रूप से भरे नहीं जाते हैं (25% अथवा अधिक), तो अगले अकादमिक वर्ष के स्लॉटों की समीक्षा की जाती

है। समीक्षा के पश्चात यदि आवश्यक हो तो पिछले स्लॉटों को भरा जाता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, पिछले स्लॉटों सहित 4841 सीटें भरी गई थीं।

(ख) और (ग): यह एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम है जो राज्य सरकारों की भागीदारी के बिना सीधे मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। वर्तमान में, छात्रों का चयन तथा राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की राष्ट्रीय अर्हता परीक्षा (एनईटी) द्वारा निर्धारित मेरिट के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2014 से स्कीम के लाभार्थियों की संख्या का तमिलनाडु राज्य सहित राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है (जिला-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं)। यह सूचित किया गया है कि डाटा संकेतक वर्ष-दर-वर्ष आधार पर बदलते रहते हैं अथवा आने वाले वर्षों में इनमें वृद्धि भी हो सकती है अथवा ये कम भी हो सकते हैं क्योंकि राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति प्रदान किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए इसकी वैधता अध्येतावृत्ति प्रदान किए जाने की तारीख से तीन वर्ष के लिए होती है। इस तीन वर्ष की अवधि में उम्मीदवार बेहतर रोजगार आदि जैसे विभिन्न कारणों से अध्येतावृत्ति का लाभ उठा सकते हैं अथवा नहीं उठा सकते हैं तथा इस प्रकार पाठ्यक्रम बीच में ही छोड़ सकते हैं।

(घ): स्कीम के प्रावधानों की वित्तीय व्यय समिति द्वारा समीक्षा की गई थी और इसे मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2021-22 में अनुमोदित किया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत 882 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ इसे आगामी 5 वर्षों के लिए जारी रखा जाएगा और इस स्कीम के अंतर्गत निधियों की कोई कमी नहीं है।

अनुबंध-I

'अनुसूचित जाति (एससी) छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति' विषयक लोक सभा में दिनांक 08.08.2023 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3061 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
राज्य	लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	65	55	92	78	61	34	22	9	1
आंध्र प्रदेश	197	228	584	551	528	429	330	244	136
अरुणाचल प्रदेश	82	100	0	91	81	36	18	10	6
असम	68	63	0	103	101	84	62	65	67
बिहार	333	387	276	379	342	189	102	83	90
चंडीगढ़	6	5	7	5	4	4	3	3	5
छत्तीसगढ	56	62	81	82	81	36	31	33	40
दिल्ली	48	57	123	113	102	75	77	131	173
गोवा	17	14	17	12	8	4	4	2	1
गुजरात	79	98	178	170	159	116	82	83	70
हरियाणा	108	131	223	228	213	147	111	160	212
हिमाचल प्रदेश	38	42	22	57	40	39	55	99	134
जम्मू और कश्मीर	93	104	20	121	108	79	67	66	72
झारखंड	278	266	476	415	374	226	119	69	40
कर्नाटक	396	473	846	821	766	578	447	344	217
केरल	99	119	296	200	207	160	118	97	110
लक्षद्वीप	11	7	9	6	4	3	2	2	0
मध्य प्रदेश	126	137	451	218	215	149	91	91	85
महाराष्ट्र	165	198	359	344	330	250	199	184	136
मणिपुर	5	4	0	8	8	10	14	19	24
मेघालय	0	0	0	2	2	1	1	1	2
मिजोरम	0	0	0	1	1	1	0	0	0
नागालैंड	34	44	0	55	53	38	21	5	1
ओडिशा	92	103	291	149	158	113	104	104	106
पुदुचेरी	12	11	18	19	17	9	3	2	4
पंजाब	143	166	298	267	234	202	193	221	235
राजस्थान	215	350	475	497	471	325	224	165	179
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	1	2
तमिलनाडु	298	357	744	713	604	463	332	236	132
तेलंगाना	32	56	134	150	150	142	137	128	119
त्रिपुरा	2	2	0	6	6	5	4	6	7
उत्तर प्रदेश	568	693	949	960	906	648	587	544	591
उत्तराखंड	88	111	291	202	192	136	120	80	82
पश्चिम बंगाल	111	195	149	303	298	260	302	429	534

******